

24/11/25

आधिवक्ता अपीलान्त अनु। अपीलान्त
आधिवक्ता व अपीलान्त के न्यायालय
की ओर से वार-वार आवाजे लगाई
गई। लेकिन उनकी ओर से कोई उप.
बढ़ी आये। अतः पत्रावली अदम्य हाजरी
व अदम्य पैरवी में श्वारिज्य छी जाती
है। पत्रावली फेमल शुमार डोउर नम्बर
के कम डोउर दाखिल पफ्तर है।

मे